न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याया0 संख्या–02 आगरा

उपस्थित : आलोक कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0 (जे0)

परिवाद संख्या : 630 / 2012

श्रीमती महविश खान पत्नी वाजिद अली पुत्री शहजाद इकवाल

निवासी ई– 2 / 1001 शहीद नगर थाना सदर बजार आगरा ..... परिवादिया

बनाम

1– वाजिद अली उर्फ बोबी पुत्र अयूब खान (पति)

निवासी जे– 192 सन्दर नगरी थाना नन्द नगरी, दिल्ली .....अभियुक्त

धारा–406,498ए,498ए भा0द0स0

व धारा – 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना सदर बजार ,आगरा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती महविशखान के द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर अभियुक्त बाजिद अली उर्फ बॉवी का विचारण धारा 406, 498ए भा.द0स0 व धारा – 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के अन्तर्गत किया गया है।

संक्षेप में परिवाद पत्र में परिवादिनी का कथन है कि प्रार्थिया का विवाह दिनांक 16.04.2011 को सुन्नी हनफी मुस्लिम मजहब की रीति रिवाज के अनुसार बाजिद अली उर्फ बॉबी के साथ सामुदायिक केन्द्र 15 वाहिनी पी0ए0सी0 ग्राउण्ड फतेहाबाद रोड आगरा पर सम्पन्न हुआ था। विवाह में प्रार्थिया के घरवालो ने विपक्षीगण व अन्य ससुरालीजन की मांग पर करीव आठ लाख रूपया कीमत का सामान दहेज में दिया था। जिसमें सोने चॉदी के जेवरात ,पल्सर मोटर साईकिल, फ्रिज, टी.वी.,वाशिंग मशीन, ए.सी. फर्नीचर, कपडे, बर्तन व अन्य घरेलू सामान दहेज में प्रार्थिया के इस्तेमाल के लिये दिया था। सगाई में करीव एक लाख रूपया व बरात के स्वागत सत्कार,खान पान व अन्य मदो में तीन लाख रूपया खर्च हुआ था। विवाह के पश्चात प्रार्थिया विदा होकर विपक्षीगण के निवास पर पहुॅची। शादी में दिया गया समस्त सामान विपक्षीगण की सुपुर्दगी में अमारत के तौर पर सौपा गया था। शादी में दिये गये दान दहेज से विपक्षीगण खुश नहीं हुये और अतिरिक्त दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर प्राथिया को तंग व परेशान करने लगे तथा शारीरिक व मानसिक यातनायें देने लगे,खाने पीने, ओढने से तंग व परेशान रखने लगे। प्रार्थिया व उसके घरवालो ने विपक्षीगण को काफी समझाया परन्तु वह अपनी मांग पर अडे रहे और प्रार्थिया को शारीरिक व मानसिक यातनाये पहुॅचाते रहे। दिनांक 25.01.2012 को उसका छोटा भाई दिल्ली गया तो उसके छोटे भाई अरीव खॉन के साथ बुरा व्यवहार

करते हुये अतिरिक्त दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग की, गन्दी गन्दी गालियॉ दी और उससे कहा कि या तो पॉच लाख रूपये दे दो अन्यथा प्रार्थिया को अपने साथ ले जाओ नहीं तो उसे जान से मार देगे। प्रार्थिया अपने भाई अराब खॉ के साथ सिर्फ पहले हुये कपडो में उसी दिन अपने मायके आ गयी। प्रार्थिया का समस्त सामान विपक्षीगण के पास है। इसके पश्चात प्रार्थिया के घर वालो ने विपक्षीगण को समझाने का प्रयास किया,लेकिन वह लोग अपनी पॉच लाख रूपये के अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी हुये बिना उसे रखने के लिये तैयार नहीं हुये। वादिया ने अपना स्त्री धन मौखिक रूप से वापस मांग परन्तु उन्होनें वापिस नही किया। परिवादिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षीगण को एक नोटिस उक्त सामान वापस किये जाने हेतु प्रेषित किया गया,उसे बाबजूद भी विपक्षीगण उसका देज का सारा सामान नाजायज रूप से अपने पास रखे हुये है तथा स्वंय इस्तेमाल कर रहे है और खुर्द बुर्द कर रहे है। विपक्षीगण ने गलत आधारों पर नोटिस का जबाब दिया। तदोपरान्त यह परिवाद विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने व समस्त स्त्रीधन की कीमत आठ लाख रूपये दिलाये जाने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत धारा 200 व 202 द.प्र.सं. की साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त गण बाजिद अली उर्फ बॉबी, अयूब खान, श्रीमती रफीकन, कुमारी रूवी उर्फ पप्पे कुमारी रूवी व मौहम्मद आबिद खॉ को धारा 406,498ए भा0द0स0 व धारा– 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया।

दौरान वाद अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका अन्तर्गत धारा 482 संख्या 7954/14 दाखिल की गयी,जिसमें पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 से माननीय उच्च न्याालय ने आवेदक संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद संख्या 630/12 अन्तर्गत धारा– 406,498ए, भा0द.स0 व धारा – 3/4 द.प्र.अधि. थाना सदर बजार जिला आगरा, कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। अब अभियुक्त वाजिद अली उर्फ बॉवी का विचारण किया गया है।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया तथा नियमानुसार अपनी जमानते करायी। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत धारा 244 दं.प्र.सं. की साक्ष्योपरान्त अभियुक्त बाजिद अली उर्फ बॉवी के विरूद्ध दिनांक 02.08.2018 को धारा 406,498ए भा0 द0 स0 व धारा – 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के तहत आरोप लगाया गया । अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण चाहा।

परिवादिनी की ओर से साक्ष्य धारा 246 द.प्र.सं. के अर्न्तगत पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में स्वयं परिवादिनी श्रीमती महविश खान को परीक्षित कराया गया। परिवादिनी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कथन के आधार पर उसका साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने से इंकार किया ।

अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 437ए का अनुपालन किया जा चुका है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया ।

परिवादिनी की ओर से साक्ष्य धारा 246 द.प्र.सं. के अन्तर्गतं पी0डब्ल्यू0 –1 के रूप में परिवादिनी श्रीमती महविश खान को परीक्षित कराया गया है। साक्षिया ने सशपथ बयान किया है कि मुल्जिम वाजिद अली उफ बॉबी व अन्य किसी भी ससुरालीजन ने मुझसे पॉच लाख रूपये की मांग नहीं की एव ना ही उस मांग को लेकर उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीडन किया और न ही कभी मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ दी। मेरे साथ कोई मारपीट व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी। मुल्जिमान ने हमसे शादी के समय कोई दहेज नहीं मांगा था और न शादी के बाद कोई दहेज की मांग की । मेरी शादी मे जो सामान मेरे घरवालो ने दिया था वह अपनी मर्जी से मेरे इस्तेमाल के लिये दिया था। मेरा शादी का सारा सामान मुझे वापस प्राप्त हो चुका है। मेरा व मेरे पति बाजिद अली उर्फ बॉवी का मुस्लिम धर्म व शरीयत के अनुसार आपसी सहमति से तलाक हो चुका है। बाजिद अली उर्फ बॉवी ने मेरी मेहर की रकम मु0 पचास हजार रूपये व अन्य सामान की बावत 70 हजार रूपया कुल एक लाख बीस हजार रूपया का भुगतान डी0डी0 संख्या 489789 देना बैक नोइडा शाखा दिनांक 31.07.2018 द्वारा मुझे कर दिया है। अब में अपना मुकदमा चलाना नहीं चाहती हूॅ और कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती हूॅ।

इस तरह से साक्षी परिवादिनी ने अपनी साक्ष्य धारा –246 द0प्र0स0 में परिवाद व साक्ष्य धारा 244 द0प्र0सं0 में किये गये कथनों का समर्थन नहीं किया गया है तथा स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीडन नहीं किया और न ही अतिरिक्त दहेज की मांग की और न ही शादी में दहेज लिया । शादी में जो सामान दिया गया ,वह अपनी मर्जी से दिया,जिसके एवज में उसे धनराशि प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस साक्षिया का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि परिवादपत्र में किये गये कथन की पुष्टि होती हो।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की उपरोक्त समीक्षा के आधार पर परिवादिनी अभियुक्त बाजिद अली उर्फ बॉवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 406,498ए भा0द0स0 व धारा – 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित

करने में पूर्णतः असफल रही है। अतः अभियुक्त बाजिद अली उर्फ बॉवी लगाये गये आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बाजिद अली उर्फ बॉवी को धारा 406,498ए भा0द0स0 व धारा – 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को जमानत के उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

एस0डी

दिनांक 07.08.2018

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं0–02, आगरा

यह निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाकित कर सुनाया गया।

एस0डी

दिनांक 07.08.2018

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं0–02, आगरा